कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230410,

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2020-21 9903 दिनांक 5/11/2020

निमित्तः-

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड शाहबाद।

विषयः-वन भूमि की एवज में गैर वन भूमि आवंटित करने के संबंध में।

संदर्भः- आपका पत्र 764,765,766 दिनांक 11.09.2020 के कम ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खण्ड शाहबाद में 1.गाजन से सुवास 2.ढिकवानी से गाडर 3.चौराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा 4.शाहबाद से राजपुर पर सुदृढिकरण एवं चौडाईकरण सडको के निर्माण हेतु वन विभाग की कुल 28.46 है0 भूमि आने के कारण वन भूमि प्रत्यार्वतन हेतु गैर वन भूमि आवंटन करने के संबंध में तहसीलदार,शाहबाद द्वारा ग्प्रम- मंडी सहजना,तहसील,शाहबाद की आराजी खसरा न.72 रकबा 45.03 बीधा, खसरा न. 73 रकबा 6.11बीधा, खसरा न.75 रकबा 2.00 बीधा, खसरा न. 76 रकबा 26.10 बीधा, खसरा न. 88 रकबा 56.09 बीधा, खसरा न. 90 रकबा 24.12 बीधा, खसरा न. 84 रकबा 39.05 बीधा में से 7.15 बीधा,व खसरा न. 85 रकबा 16.17 बीधा मे से 6. 16 बीधा, किता 8 रकबा 192.15 बीधा मे से 175.16 बीधा (28.46है0) किस्म,बंजड भूमि प्रस्तावित की गई है।

क्षैत्रीय वन अधिकारी शाहबाद एवं सर्वेयर कार्यालय हाजा की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 03.11.2020 के अनुसार मौके पर उक्त आराजी खसरा नम्बरो में अधिकांश भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर कास्त करना पाया गया है। श्रीमान जिला कलक्टर बारां की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 19.06.2019 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त प्रस्तावित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उपरान्त वन विभाग को दिया जाना उल्लेखित किया गया था।

अतः आप उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये ताकी प्रस्ताव में मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी कर पार्ट II की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/20-21/ दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयुपर।

2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned by CamScanner

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी शाहाबाद

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 03.11.2020 को श्रीमान उप वन संरक्षक महोदय बारां के मौखिक आदेशानुसार ग्राम मण्डी सहजना तहसील शाहाबाद जिला बारां के आराजी खसरा नं. 72/45.03, 73/6.11, 75/2.00, 88/56.09, 76/26.10, 84/39.05 व 85/16.17 का मौका निरीक्षण रेन्ज स्टाफ शाहाबाद के साथ किया। उक्त भूमि विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु वन विभाग की भूमि आने के कारण वन भूमि की एवज में गैर वन भूमि किस्म की आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई है।

मौका स्थिति अनुसार उक्त आराजी भूमि पर नालो को छोड़कर सम्पूर्ण भूमि अतिक्रमण युक्त है, काश्त करना पाया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि से नाले व सड़क निकलने के कारण तीन भागो में बंटी हुई है। अतिक्रमण की स्थिति दिनांक 14.06.2019 की मौका रिपोर्ट के अनुसार यथावत है।

03/11/2020

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहाबाद

सहायक वनपाल